चमन लाल

बनाम

यू०पी० राज्य और अन्य.

16 अगस्त, 2016

[अरिजीत पसायत और सी.के. ठक्कर न्यायाधिपतिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

हत्या- जमानत का आवेदन- विचारण न्यायालय द्वारा ख़ारिज- उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित ना होने के आधार पर जमानत स्वीकार की-अपील पर अभिनिर्धारितः अभियुक्त को जमानत की मंजूरी देने से पहले, न्यायालय को स्वयं का समाधान कर लेना होगा कि साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बन रहा हो- फिर भी न्यायालय को साक्ष्यों के विस्तृत परीक्षण और प्रकरण के विस्तृत दस्तावेजकरण से बचना चाहिए- गवाहों से छेड़छाड़ / परिवादी को खतरे की आशंका नहीं हो- उच्च न्यायलय का आदेश तर्क पूर्ण नहीं होने से बचाव योग्य नहीं हैं- अभियुक्त के जमानत मुकदमे निरस्त किये जाते हैं- दंड संहिता 1860- धारा 302 /120 ख

प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा मृतक साहूकार को गोली मारकर कथित रूप से मार दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये कथन करते हुए कि अज्ञात हमलावरों ने मृतक की हत्या कर दी है, एक ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराई थी जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। तथापि अन्य गवाहान के कथनो के आधार पर आरोपी प्रत्यर्थी संख्या २, दो अन्य आरोपियों के साथ पुलिस द्वारा अभिरक्षा में ले लिए गए। प्रत्यर्थी नंबर २ के द्वारा जमानत का प्राथना पत्र दायर किया गया जो की विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गयी। इस वजह से यह अपील पेश है।

अपीलकर्ता का ये कथन रहा कि हत्या के आरोपी को जमानत दिए जाने से न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और यह कि उच्च न्यायालय ने, उन तथ्यों पर चर्चा किये बिना ही जिसके आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत खारिज की थी, जमानत दे दी है।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया हैं-:

1.1. उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। हालांकि जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय अदालत को साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए। फिर भी जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला है या नहीं, लेकिन मामले की खूबियों की विस्तृत

जांच पड़ताल आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग न्याय संगत तरीके से करना आवश्यक है, न कि किसी सामान्य मामले के रूप में। विशेषतः जब आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप हो तब जमानत दिए जाने के आदेश में जमानत स्वीकार करने का कारण अंकित करना आवश्यक है। (587- H 588-A, B)

- 1.2. जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:
- दोषसिद्धि होने पर सज़ा की गंभीरता, आरोप और सहायक साक्ष्य की प्रकृति;
- 2. गवाह के साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका;
 - 3. आरोप समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि।

ऐसे कारणों के बिना का कोई भी जमानत का आदेश दिनांक के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है। [588- C, D, E]

1.3. उच्च न्यायालय का गूढ गैर-तर्कसंगत आदेश, स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं हैं एवं अपास्त किया जाता हैं। हालाँकि, जमानत आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय से पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं के संबंध में कोई निर्णायक निष्कर्ष निकलने की अपेक्षा नहीं है, फिर भी कारण बताना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है। प्रत्यर्थी संख्या 2, आरोपी के जमानत मुकदमे रद्द किये जाते है और उसे तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। यह स्पष्ट किया जाता हैं कि मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गयी हैं। [588-H, F;589-A]

राम गोविन्द उपाद्यय बनाम सुदर्शन सिंह वगैरह, (2002)3 एस.सी. सी 598; पूरन आदि बनाम रामविलास व अन्य, (2001)6 एस.सी. सी 338 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव व अन्य जे. टी (2004)3 एस.सी. 442 पर निर्भर।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील नंबर 896/2004।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीआरएल. एम. नंबर 10985 / 2003 के न्याय निर्णय व आदेश दिनांक 05-08- 2003 से।

अमरेंद्र शरण, आर. के. कपूर, बी. आर. कपूर, एम. के. वर्मा और सुदर्श मेनन अपीलकर्ता के लिए।

सहदेव सिंह और जीतेन्द्र कुमार भाटिया राज्य के लिए।

डब्ल्यू ए. नोमानी प्रत्यर्थी संख्या दो के लिए।

न्यायालय का न्याय निर्णय न्यायाधिपति अरिजीत पसायत द्वारा दिया गया : अनुमति दी गयी।

प्रत्यर्थी संख्या 2 (एतद पश्वात 'अभियुक्त' के रूप में संभोदित किया गया हैं) को जमानत देने को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रक्षेपित आवश्यक तथ्यों की पृष्टभूमि इस प्रकार है:-

एक प्रेम कुमार (एतद पश्चात 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है) साह्कारी के व्यवसाय में लगा हुआ था। उसने एक नईम नाम के एक आरोपी को 2 लाख रु. ऋण दिया था। दिनांक 11.3.2003 को, टेलीफोन कॉल द्वारा जो की कथित तौर पर आरोपी नईम द्वारा किया गया था, मृतक को किसी कामिल की फैक्ट्री में बुलाया था, जहां आरोपी नईम एक ठेकेदार के रूप में काम कर रहा था। जब मृतक उस स्थान पर गया, उसे प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्- मीर हसन और एक अन्य आरोपी वसीम द्वारा गोली मार दी गई। अभियुक्- प्रत्यर्थी संख्या 2 ने घातक गोली मारी। तुलसी राम, हरीश कक्कड़ और नवाब नामक तीन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 को हिरासत में ले लिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति ने दर्ज कराई थी जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया था अज्ञात हमलावरों ने मृतक

की हत्या कर दी है। आरोपी मीर हसन को गिरफ्तार करने के बाद उसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश सहारनपुर के समक्ष जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया जो की खारिज कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 अभियुक्त- मीर हसन द्वारा उच्च न्यायालय जाने पर आक्षेपित निर्णय से विद्वान एकल न्यायधीश ने उन्हें जमानत दे दी है।

अपीलकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने, उन तथ्यों पर चर्चा किये बिना ही जिसके आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश जमानत खारिज की थी, अप्रकट आदेश से जमानत दे दी हैं। जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से एकमात्र स्टैंड लिया गया कि एफआईआर में उनका नाम नहीं है और तीन दिनों के बाद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'सहिंता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए बयानों में उनके नाम का खुलासा किया गया है। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302/120 बी (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया। यह निवेदन किया गया है कि जमानत देने से न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी और यह ऐसा मामला नहीं है जहां जमानत देना उचित था।

प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या २ के लिए विद्वान वकील ने निवेदन किया कि प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई है और जमानत आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग के किसी भी आरोप के बिना आदेश 5.8.2003 से लागू है। ऐसा होने पर यह अनुरोध किया जाता है कि किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

संहिता में 'जमानत' शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, हालांकि अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धारा 2(क) 'जमानती अपराध' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है एक ऐसा अपराध जिसे पहली अनुसूची में जमानती के रूप में जाना जाता है या जिसे किसी अन्य समय के लिए लागू कानून द्वारा किसी तत्समय प्रभावी अन्य कानून द्वारा जमानती बनाया गया है और "गैर-जमानती अपराध" का अर्थ कोई अन्य अपराध है।

उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश इस प्रकार है;

"आवेदक के वकील का कहना है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में नहीं है और बाद में 3 दिनों के बाद सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान में उसके नाम का खुलासा किया गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आवेदक को जमानत दी जाती है। आपराधिक प्रकरण 90/2003 अंतर्गत धारा 02/120-बी आई.पी.सी., पी.एस. मण्डी जिला सहारनपुर में लिस आवेदक मीर हसन उर्फ फद्दर को व्यक्तिगत बांड निष्पादित करने और संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।"

सरसरी तौर पर देखने पर ही उच्च न्यायालय का आदेश पूरी तरह से दिमाग का उपयोग न करने को दर्शाता है। हालांकि जमानत आवेदनों पर आदेश पारित करते समय अदालत को साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों के विस्तृत दस्तावेजीकरण से बचना चाहिए। फिर भी जमानत आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया मामला है, लेकिन मामले की खूबियों की विस्तृत खोज आवश्यक नहीं है। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना आवश्यक है, न कि किसी सामान्य मामले के रूप में।

आदेश में यह बताने की आवश्यकता है कि प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, खासकर जहां किसी आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने वाली अदालतों के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है, वे हैं:

- 1. दोषसिद्धि होने पर सज़ा की गंभीरता, आरोप और समर्थनकारी साक्ष्य की प्रकृति।
- 2. गवाह से साथ छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका या शिकायतकर्ता पर खतरे की आशंका।
 - 3. आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्ट्या संतुष्टि।

ऐसे कारणों के बिना कोई भी आदेश दिमाक के गैर-प्रयोग से ग्रस्त है जैसा कि इस न्यायालय ने राम गोविन्द उपाद्यय बनाम सुदर्शन सिंह और अन्य, (2002)3 एस.सी. सी 598; पूरन आदि बनाम रामविलास व अन्य, (2001)6 एस.सी. सी 338 और कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव व अन्य जे. टी (2004) 3 एस.सी. 442।

हालाँकि, जमानत आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय से पक्षकारों द्वारा आग्रह किए गए बिंदुओं के संबंध में कोई निर्णायक निष्कर्ष निकलने की अपेक्षा नहीं है, फिर भी कारण बताना गुण या दोष पर चर्चा करने से अलग है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जमानत देने के स्तर पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच और मामले की खूबियों का विस्तृत दस्तावेजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है

कि जमानत देते समय प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही है, कुछ कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त स्थिति में, उच्च न्यायालय का गूढ गैर-तर्कसंगत आदेश, स्पष्ट रूप से बचाव योग्य नहीं है।

उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 आरोपी के जमानत मुकदमे रद्द किये जाते है और उसे तुरंत हिरासत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है और यदि वह ऐसा नहीं करता हैं तो यह प्रतिवादी नंबर 1 राज्य का कर्तव्य होगा कि वह उसे तुरंत हिरासत में ले लें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए विद्वान वकील ने निवेदन किया कि आरोप-पत्र पेश होने और/या आरोप तय होने के बाद, आरोपी नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करेगा। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कानून के अनुसार उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।

तद्रुसार अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी युधिष्टर मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।